न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी, आर.ए.एस.

मि0न0 – 01/2023

अनवान : –

1. मुकनाराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।

प्रार्थी

बनाम्

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादर

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री कालूराम शर्मा **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

दिनांकः 10/7/23

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 320/85 की कुल 3.0600है0 में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का अशुद्व नाम मुकुन्दलाल पुत्र उदमीराम दर्ज है। तथा रोही मौजा गदरा के खाता सं0 54/63 की कुल 29.3270है0 मे प्रार्थी के नाम 2933/29327 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का अशुद्व नाम मुकनाराम पुत्र उदाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी का नाम मुकुन्दलाल पुत्र उदमीराम व मुकनाराम पुत्र उदाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है जबकि प्रार्थी का सही नाम मुकनाराम पुत्र उदमीराम है अन्य सभी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड , बैक पास बुक, परिवार कार्ड, आदि मे सही नाम दर्ज है। इस प्रकार अशुद्व नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब [illegible] गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया। तहसीलदार भादरा [illegible] रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील [illegible] बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी [illegible] मुकुन्द[illegible] पुत्र उदमीराम व मुकनाराम पुत्र उदाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अपू[illegible] जबकि प्रार्थी का सही [illegible] मुकनाराम पुत्र उदमीराम है अन्य सभी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड , बैक पास बुक, प[illegible]कार्ड, आदि में सही नाम दर्ज है। इस प्रकार अशुद्व नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रही है। इसलिए न्यायहित में उक्त नाम संशोधन किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थी का सही नाम मुकनाराम पुत्र उदमीराम बताया गया है। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिवारिक राशन कार्ड, संरपच प्रमाण पत्र आदि में सही नाम मुकनाराम पुत्र उदमीराम दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा मनाई के खाता सं0 320/85 की कुल 3.0600है0 में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का अशुद्ध नाम मुकुन्दलाल पुत्र उदमीराम दर्ज है। तथा रोही मौजा गदरा के खाता सं0 54/63 की कुल 29.3270है0 में प्रार्थी के नाम 2933/29327 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का अशुद्ध नाम मुकनाराम पुत्र उदाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उपरोक्त दोनों खातों में प्रार्थी के मुकुन्दलाल पुत्र उदमीराम तथा मुकनाराम पुत्र उदाराम को हटाया जाकर सही नाम मुकनाराम पुत्र उदमीराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। कृषि भूमि यदि रहन है तो रहन मुक्त के बाद उपरोक्त अंकन किया जावे। और यदि इससे पूर्व किसी न्यायालय, किसी संस्था आदि में कोई बकाया अथवा कोई विवाद मुकुन्दलाल पुत्र उदमीराम अथवा मुकनाराम पुत्र उदाराम नाम से जैरकार है तो उसके लिए प्रार्थी के वही नाम ही लागु होगा। तथा भविष्य में भी यदि कोई इस नाम से छूपे हुए तथ्य प्रकट होते है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगी।

निर्णय आज दिनांक 10/7/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

गि0न0 — 15 / 2023

अनवान : —

1. शीलादेवी पुत्री काशीराम पत्नी कपूरसिंह जाति जाट निवासी सागड़ा तह0 भादरा हाल निवासी मजोद तहसील हांसी जिला हिसार।

प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री विरेन्द्र जाखड़ **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 10/7/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 7 जे एस एल के खाता सं0 19/60 के मु0न0 56 के किला न0 11, 20 मु0न0 57 के किला न0 16, 17, 24, 25 मु0न0 58 के किला न0 4, 5 की कुल 2.024 है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीया का 1/24 हिस्सा खातेदारी है जो प्रार्थीया को अपने पिता, दादा से विरासतन से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय संवहन से कौशल्या दर्ज करवा दिया जिसके आधार पर उक्त भूमि में आज तक यही नाम चला आ रहा है। प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात में सही नाम शीला देवी ही दर्ज है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्दि करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्रस्तुत की गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय संवहन से कौशल्या दर्ज करवा दिया जिसके आधार पर उक्त भूमि में आज तक यही नाम चला आ रहा है। प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात में सही नाम शीला देवी दर्ज है, इस प्रकार कौशल्या नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी को सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रही है। इसलिए न्यायहित में उक्त नाम संशोधन किया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपॉर्ट में उक्त नाम जरिये विरासतन

नामान्तरण सं0 467 सितम्बर 2017 में दर्ज होना बताया गया है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, परिवारिक राशन कार्ड, संरपच प्रमाण पत्र आदि में शीला देवी नाम दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा 7 जे एस एल के खाता सं0 19/60 के मु0न0 56 के किला न0 11, 20 मु0न0 57 के किला न0 16, 17, 24, 25 मु0न0 58 के किला न0 4, 5 की कुल 2.024 है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीया का 1/24 हिस्सा खातेदारी है में **कौशल्या पुत्री काशीराम के स्थान पर शीला देवी पुत्री काशीराम** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूरत करें। कृषि भूमि यदि रहन है तो रहन मुक्त के बाद उपरोक्त अंकन किया जावे। और यदि इससे पूर्व किसी न्यायालय, किसी संस्था आदि में कोई बकाया अथवा कोई विवाद कौशल्या नाम से जैरकार है तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम कौशल्या ही लागु होगा। तथा भविष्य में भी यदि कोई इस नाम से छूपे हुए तथ्य प्रकट होते है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी।

आदेश आज दिनांक 10/7/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested